**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 462/2019

सीता राम और अन्य ...अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य ... प्रतिवादी

**<u>आदेश</u>**

विशेष अनुमति द्वारा प्रस्तुत यह अपील डीबी आपराधिक अपील संख्या 175/1983 में राजस्थान उच्च न्यायालय, खंड पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 21.09.2016 के खिलाफ निर्देशित है।

वर्तमान मामले में अपराध मोती राम द्वारा इस आशय की रिपोर्ट करने पर दर्ज किया गया था कि दिनांक 02.08.1982 को उसकी माँ और पत्नी, अपने भाई फूलचंद के साथ, खसरा नंबर 210 स्थित कृषि क्षेत्र में गए थे। उस समय नोपाराम के पुत्र हनुमान, नोपाराम के पुत्र मंगू, नोपाराम के पुत्र सुरजा, हनुमान के पुत्र सीताराम, मंगू के पुत्र जगदीश, सुरजा के पुत्र प्रह्लाद, मंगू के पुत्र गणेश, मंगला के पुत्र हनुमान, हनुमान के पुत्र महाबक्ष, तुलची पत्नी हनुमान, फुली पत्नी मंगू, रामा पत्नी सुरजा, अंचली पत्नी जगदीश, गुलाबी पत्नी सीताराम, मंगू की बेटी मंगली, गुलदी पुत्री हनुमान, सांकरी पुत्र सुरजाराम, साजन पुत्र

हनुमान, हंसिया और लाठियां लेकर वहां आये और उसकी मां और पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। उसका छोटा भाई फूलचंद दौड़कर वापस घर आया और घटना की सूचना अपने पिता घड़सी राम और भाई श्याम लाल को दी, जिस पर वे दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे । हमलावरों ने उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप घड़सी राम के सिर और पीठ पर चोटें आईं, जबकि उनके भाई श्याम लाल को दरांती से गंभीर चोटें आईं।

इस तरह की रिपोर्टिंग पर, शुरू में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 147, 148, 325, 324, 323, 382/149 के तहत अपराध को खाटू श्यामजी, जिला सीकर, राजस्थान में दर्ज किया गया था।

मामले में घड़सी राम की मृत्यु के बाद, आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध जोड़ा गया।

PW4 डॉ. एम.एम. मिश्रा द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में मृतक घड़सी राम को निम्नलिखित बाहरी चोटें पाई गईं:

"1. सिला हुआ घाव 2"लंबा, खोपड़ी के बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर, अनुप्रस्थ।

2. खोपड़ी के बाएं अस्थायी क्षेत्र पर सूजन 2" x 1"

3. खोपड़ी के दाहिने पश्चकपाल क्षेत्र पर फटा हुआ घाव, 1" x 1/5" x 1/5"

4. खोपड़ी के बाएं सामने के क्षेत्र पर 2" x 2", खरोंच।

5. बाएं पैर, सामने के ऊपरी 1/3 पर घर्षण 1½" x ½"

6. बाएं गाल पर 3/4" x 1/10" x 1/10"का कटा हुआ घाव।
7. दाहिने हाथ के बीच में 2" x 1"खरोंच, बाद में।
8. दाहिने पैर के निचले 1/3 भाग पर औसत दर्जे का घर्षण 2"x 1"
9. घर्षण 1 "x 1/10", मध्य बाएँ पैर पर, औसत दर्जे का।
10. दाहिनी छाती, पीठ, तिरछे के मध्य में घर्षण 4 "x 1/2"
11. घर्षण 1/2" x 1/10"पीठ पर, बाएं ह्यूबर क्षेत्र।
12. बाएं  घुटने, पीठ पर घर्षण 1/2 "x 1/2"।
13. दाहिने घुटने के सामने घर्षण 1/2" x 1/4",।
14. बाएं हाथ की पीठ पर 2" x 2"खरोंच।
15. बाईं कलाई के पीछे 1" x 1"खरोंच।"

पोस्ट-मॉर्टम ने निम्नलिखित आंतरिक चोटों का भी संकेत दिया:

"1. खोपड़ी के आगे के बाएं हिस्से की हड्डी टूट गई थी।
2. फ्रैक्चर साइट के नीचे बाईं पार्श्विका हड्डी पर सब-ड्यूरल हेमेटोमा था।
3. सामने की बायीं हड्डी पर मस्तिष्क का घाव था।
4. बाएं हाथ के III और IV अनटैकार्पैट के फ्रैक्चर थे।
5. जांघ के ऊपरी सिरे में फ्रैक्चर हो गया था।'

चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी चोटों के परिणामस्वरूप होने वाली आंतरिक चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। चिकित्सा राय के अनुसार, सभी चोटें "लाठी"जैसी कुंद वस्तु के कारण लगी थीं और सभी चोटें मृत्यु पूर्व थीं।

घटना में घायल हुई मोती राम की पत्नी मीरा को निम्नलिखित चोटें लगी थीं:

"1. खोपड़ी के बाएं पार्श्विका क्षेत्र पर फटा हुआ घाव, 1 ¾" x ¼" x 3/8"
2. बायीं जांघ के पार्श्व भाग के निचले 1/2 भाग पर खरोंच, 2½"x1"
3. बाएं गाल पर घर्षण, 1/2" x 1/8"।
4. बाईं जांघ के निचले 1/3 पर कोमलता के साथ एकिमोसिस, केवल अकेले घुटने का जोड़, बाद में एंटरिस।"

शिकायतकर्ता की मां सुश्री बारजी को निम्नलिखित चोटें लगी हुई पाई गईं:

"1. 5/8" x 1/8" x 3/8", सामने के दाहिने पैर के ऊपरी 1/3 भाग पर कटा हुआ घाव।
2. बाएं हाथ की मेटाकार्पल हड्डी II में जलन के साथ सूजन।
3. बाएं पैर के निचले आधे हिस्से में बगल की तरफ कोमलता के साथ दर्द की शिकायत।
4. लेटरल साइड पर दाहिनी जांघ के मध्य 1/3 पर चोट, 3" x 1",।
5. पीठ के बाएं हंबर क्षेत्र में दर्द की शिकायत।

गौरतलब है कि लेन-देन में आरोपी पक्ष के दो लोगों को भी चोटें आई हैं। आरोपी जगदीश को निम्नलिखित चोटें लगी हुई पाई गईं:

"1. गर्दन के बायीं ओर 1" x 3/8" x 1", छेदित घाव।
2. लेटरल साइड पर लेफ्ट लेग के निचले ½ पर, इकोमोसिस के साथ ब्रूस, 3" x 1 ½",।"

रिकॉर्ड पर चिकित्सा राय के अनुसार, चोट नंबर 1 एक तेज

काटने वाले हथियार के कारण हुई थी।

एक अन्य आरोपी प्रह्लाद को निम्नलिखित चोटें आई थीं :

"1. बाएं हाथ के टोराई्स अंगूठे के पृष्ठ भाग पर 2¼" x 1" x 3/8"कटा हुआ घाव।

2. उभरा हुआ घाव, 1½" x 1/8" x 1/8", रेडियल साइड पर पीठ पर बाईं बांह की कलाई के निचले 1/3 भाग पर।

3. घर्षण 1/2" x 1/8", रेडियल साइड पर बाएँ हाथ के ऊपरी 1/3 भाग पर।"

इस मामले में भी धारदार हथियार से चोट नंबर 1 व 2 लगी है।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच अधिकारी PW11 श्री अमीलाल ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि एक ही घटना के संबंध में, वर्तमान मामले में दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ अभियुक्त के पक्ष के कहने पर की गई रिपोर्टिंग के रूप में दो क्रॉस वर्जन थे। वास्तव में, अभियुक्त द्वारा की गई रिपोर्टिंग पहले उस समय के अनुसार थी जिसके तहत आईपीसी की धारा 447 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में 1982 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75 दर्ज की गई थी।

विचारण के लिए भेजे गए 16 व्यक्तियों में से, विचारण न्यायालय ने आठ पुरुष व्यक्तियों को दोषी ठहराया, जबकि चार महिला अभियुक्तों सहित शेष अभियुक्तों को बरी कर दिया। उन आठ व्यक्तियों, अर्थात् हनुमान, मंगूराम, सुरजा राम, सीताराम, मंगला राम, प्रह्लाद, जगदीश और गणेश को आईपीसी की धारा 147, 302/149, 325/149 और 323 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया और

सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 302 और 302/149 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में आजीवन कारावास और शेष अपराधों के लिए अन्य सजा से दंडित किया ।

सजायाफ्ता अभियुक्तों ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में डी.बी.आपराधिक अपील संख्या 175/1983 दाखिल की।

उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, दोषी अभियुक्त हनुमान, मंगू राम, सुरजा राम और जगदीश की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन अभियुक्तों के संबंध में कार्यवाही समाप्त हो गई।

बाकी दोषी अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और आदेश दिनांक 21.09.2016, जो वर्तमान में चुनौती के अधीन है, द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं पाया। विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

तत्काल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, एक निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता संख्या 2 से 4, अर्थात्, मंगला राम, प्रह्लाद और गणेश उस दिन किशोर थे जब घटना हुई थी और, इस तरह, वे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'जेजे अधिनियम, 2000') और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में 'जेजे अधिनियम, 2015') के संदर्भ में लाभ के हकदार थे।

चूंकि अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2012) 10 एससीसी 489 में इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि किशोर होने का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है और यहां

तक कि इस न्यायालय के समक्ष पहली बार हालांकि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.03.2019 के आदेश द्वारा दबाव नहीं डाला गया था, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 की किशोरता के मुद्दे को सत्र न्यायालय, जिला,सीकर, राजस्थान द्वारा विचार के लिए संदर्भित किया था।

उस संबंध में तब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार सजायाफ्ता अभियुक्त/अपीलार्थी संख्या 3 और 4, क्रमशः प्रह्लाद और गणेश, घटना के दिन किशोर थे। उक्त अभिकथन के आलोक में उक्त दोषियों/अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था, जो सुविधा इन दोनों अभियुक्तों को अभी भी प्राप्त है।

हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष विनय को सुना।

रिकॉर्ड पर परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यह उभर कर आता है:

क) मृतक की मृत्यु किसी कुंद वस्तु, जैसे कि लाठी से लगी चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।

बी) किसी भी धारदार हथियार से एक भी चोट नहीं लग सकती थी।

ग) इसी तरह, अभियोजन पक्ष के गवाहों को लगी अधिकांश चोटें भी कुंद वस्तु से लगी थीं।

घ) रिकॉर्ड इंगित करता है कि घटना का स्थान खसरा नंबर 210 पर स्थित एक कृषि क्षेत्र में था।

ई) सबूत बताते हैं कि उक्त कृषि क्षेत्र पार्टियों के बीच विवाद का विषय था।

च) आरोपियों में से दो व्यक्तियों को खुद भी चोटें आई हैं और उनमें से कुछ चोटें धारदार हथियार से लगी हैं। छ)

घटना के बारे में कहा गया है कि शुरू में महिलाओं के बीच कहासुनी हुई थी जो बाद में मारपीट में बदल गई।

परिसर में, हमारे विचार में, मामला धारा 300 आईपीसी के चौथे अपवाद द्वारा कवर किया जाएगा और इस तरह, विचाराधीन अपराध "हत्या"नहीं होगा, लेकिन "हत्या के लिए गैर इरादतन हत्या"होगी।

परिस्थितियों की समग्रता में, हमारे विचार में, सभी अभियुक्त मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 304-II और धारा 304-II सहपठित धारा 149 के तहत अपराध के दोषी होंगे।

हमें जानकारी मिली है कि आरोपी सीता राम और मंगला राम ने करीब छह साल की सजा पूरी कर ली है. चीजों की फिटनेस में, आईपीसी की धारा 304-द्वितीय और 304-द्वितीय के तहत मुख्य अपराध के लिए उचित सजा छह साल की कैद होनी चाहिए। यदि अभियुक्तों ने छह साल की सजा पूरी कर ली है, तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए, जब तक कि किसी अन्य अपराध के संबंध में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

जहां तक दो अभियुक्तों, प्रह्लाद और गणेश का संबंध है, जिनकी नाबालिग होने की पुष्टि संबंधित सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई है, हम निर्देश देते हैं कि उनके साथ जे.जे. अधिनियम, 2000 की धारा 20 और जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 25 के तहत कार्रवाई की जाए।

इन टिप्पणियों के साथ, तत्काल अपील यहां ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

**.....जे.**

**(उदय उमेश ललित)**

**.....जे.**

**(एस. रवींद्र भट)**

**.....जे.**

**(बेला एम. त्रिवेदी)**

नयी दिल्ली,

28 अक्टूबर, 2021.

(Translation has been doen through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.